न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 86 / 2022
अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

अनवान

प्रार्थीगण – 1. सोना पत्नी मुस्ताक 2. मौसन 3. बादलखान 4. पठानखां 5. सदाम हुसैन 6. जलालदीन पि. मुस्ताक जाति मुसलमान निवासी सुकालिया तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. कुरानी पत्नी भलीना जाति मुसलमान निवासी सुकालिया 2. तहसीलदार चौहटन 3.सुखों पत्नी गुलाम 4. अमवत पत्नी जाकब 5. खालक पुत्र जाकब 6. बादल पुत्र मुश्ताक 7. हसन पुत्र नवाब जातियान मुसलमान 8. दशरथ कंवर पत्नी मेहताबसिंह 9. पवनकंवर पत्नी मेहताबसिंह 10. खुमाणसिंह पुत्र महासिंह 11. देरावरसिंह पुत्र महासिंह जाति राजपुत निवासी सुकालिया तहसील चौहटन 12. प्रधानाचार्य रा.प्रा.वि. सुकालिया

अधिवक्तागण – प्रार्थीनी वकील – श्री मोहनसिंह सोढ़ा, श्री विक्रमसिंह भाटी
विप्रार्थी – श्री उम्मेदसिंह सोढ़ा विप्रार्थी सं. 1, 3 से 12

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 04.02.2026

प्रार्थीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा सुकालिया पटवार क्षेत्र बीजराड़ तहसील चौहटन में खसरा संख्या 1056 / 757 रकबा 2.1044 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की है जिस पर रहवासी ढाणियां, टांके, लाटा आदि बना हुआ है। प्रार्थी सं. 1 व इब्राहीम पुत्र अमीन उक्त भूमि जरिये पंजीबंद्ध बेचान पत्र के नवाब उर्फ नबी बक्स पुत्र खालक से खरीद की गई थी। बेचान पत्र में प्रार्थीगण की खरीदसुदा भूमि के पूर्व दिशा में सुखों पत्नी गुलाम व विक्रेता की अन्य भूमि, दक्षिण में गैर मुमकिन सड़क व रा.उ.प्रा.वि. सुकालिया का भवन, पश्चिम दिशा में जाकब पुत्र खालक का खेत आया है। इसी अनुसार बेचानकर्ताओं ने प्रार्थी को मौके पर काबिज कर भौतिक कब्जा सुपुर्द किया गया तथा उसके बाद इब्राहीम पुत्र अमीन ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.02.20 18:09:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

अपने हिस्से की भूमि प्रार्थी सं. 2 से 6 को बेचान कर दी गई जिस कारण वर्तमान में वक्त भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है। प्रार्थीगण द्वारा भूमि खरीद के बाद ख. सं. 1056/757 रकबा 13.00 बीघा का सजृन करते हुए लट्ठा ट्रेस में तरमीम की गई जो तरमीम सही नहीं की गई, जहां पर प्रार्थीगण का कब्जा व बेचान पत्र में पड़ौसान दर्ज अनुसार तरमीम नही की गई है।

प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि की लट्ठा ट्रेस में तरमीम की गई है जो तरमीम मौके पर कब्जा काश्त व बेचान पत्र में अंकित पड़ौसान के अनुसार नही की गई तथा लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर प्रार्थीगण के मौजूद कब्जा तथा बेचान पत्र में अंकित पड़ौसान में भारी अन्तर है। इसलिये प्रार्थी अपने खेत के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम शुद्धिकरण करवाना चाहते है, जिस हेतु यह राजस्व आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1, 3 से 12 की ओर से उम्मेदसिह सोढ़ा द्वारा वकालतनामा मय इकबालीयां जवाब पेश किया। तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया।

तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। पक्षकारान अधिवक्ताओं उपस्थित हुए। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पक्षकारान अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार चौहटन से जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है, स्वीकार है। उसी अनुसार तरमीम दुरस्त की जावे तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि पक्षकारान अधिवक्ता तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत है। तहसीलदार चौहटन द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में प्रार्थीगण की तरमीम मौके पर कब्जा काश्त परिशिष्ट 'ए' अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसलिए प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर मौजा सुकालिया पटवार हल्का बींजराड़ तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा सं. 1056/757 रकबा 2.1044 हैक्टयर भूमि की तरमीम तहसीलदार चौहटन द्वारा पेश मौका रिपोर्ट में सलंग्न प्रपत्र 'ए' अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन की मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2026.02.20 18:09:33 IST
Reason: SelfAttested